

3-9-20

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र दिनांक 7-8-20 के आधार पर निवेदन पर सुनवाई में ली गई।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि सहन से कम्प्यूटर व लिपिकिंग त्रुटि से बूक हुई है, जिसे संशोधन किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 28.12.2017 में मौजा कलावा के खसरा नं. 719/264, 721/264 कुल रकबा 62.16 बीघा दर्ज किया जावे।

सुना, पञ्जावली का अवलोकन व अधपपन किया, बाद गौर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 28.12.2017 में हुई उक्त त्रुटि को दूर कर आदेश दिया जाता है, कि उक्त में खसरा सं. 719/264, 721/264 मौजा कलावा पढा जावे।

पञ्जावली केसल शुमार होकर उन: कारिबल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोवरा